

# भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

## **Security Printing and Minting Corporation of India Limited**

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) Miniratna Category-I, CPSE (Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.वि.वि.लि./192/12/385 SPMCIL/VIG/192/12/385

दिनांक 17.04.2013

Date: 17.04.2013

#### परिपत्र/ CIRCULAR

विषय/Sub:कार्य निष्पादन में पारदर्शिता।/Transparency during execution of work.

उपशीर्ष/SH:- इंडेंटिंग, कार्यान्वयन तथा भुगतान एक ही प्राधिकारी द्वारा होने की स्थिति में गेट पास जारी करने, शिक्षा/अनुभव की जांच करने तथा उपस्थिति रिकॉर्ड रखने के लिए दूसरे अनुभाग/विभाग (अर्थात\_ मानव संसाधन विभाग) का सहयोग लिया जाना।/Associating another section/department (i.e. HR Department) to issue gate passes, scrutinizing the qualification/experience & maintaining of attendance records in case of indenting, executing & payment releasing authority being the same.

एक इकाई में कार्य आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुपालन न होने से संबंधित शिकायत की जांच में यह पाया गया है कि आउटसोर्स पेशेवरों की सेवा लेने वाले मॉग प्राधिकारी, कार्य निष्पादन प्राधिकारी तथा भुगतान जारी करने वाले प्राधिकारी एक ही थे। सक्षम प्राधिकारी ने इसे व्यवस्थानुसार नहीं पाया है।

During investigation of a complaint pertaining to non-compliance of terms and conditions of work order in one of the unit, it was observed that the indenting authority, executing authority and payment releasing authority for availing the services of outsourced professionals were same. The Competent Authority has viewed it as a lapse in the system.

- 2. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के मामलों में दूसरे अनुभाग/विभाग (अर्थात् मानव संसाधन विभाग) को गेट पास जारी करने, नियुक्त कर्मचारियों की योग्यता/अनुभव की जांच करने हेत् शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद इसे पूर्णत: पारदर्शी करने के लिए यदि अनुबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति की इलैक्ट्रानिक व्यवस्था नहीं है तो इन व्यक्तियों की उपस्थिति मानव संसाधन विभाग द्वारा रिकॉर्ड की जाए।
- 2. All concerned are hereby advised to ensure that in such cases a second section/department (ie HR Department) be involved to issue gate passes, scrutinizing the qualification/experience of the engaged persons. Further to make it full proof, the attendance of these persons be also maintained at HR Department in case the electronic attendance system is not implemented for the contractual persons.

CICH 31/1/2

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

फैक्स/Fax : 011-23701223

E-mail: spmcil@rediffmail.com

- 3. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।
- 3. These guidelines may be noted & followed by all for strict compliance. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a vigilance angle.
- 4. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
- 4. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
- 5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
- 5. This issues with the approval of Competent Authority

JETIN 113

(एस. एस. बालानी)/(S. S. BALANI) वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/Sr. VO

### महाप्रबंधक/The General Managers,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill, <u>भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।/SPMCIL.</u>

#### प्रतिलिपि:/ CC:

- 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।/OSD to CMD.
- 2. निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकी)।/Director (HR/T)
- 3. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।/GM/Dy. GMs (Corporate Office).
- 4. उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (वित्त विभागाध्यक्ष), टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना।/ DM/AM (Head of Finance), Mints/Presses/Paper Mill.
- 5. सभी सतर्कता कार्यपालक (निगम मुख्यालय/इकाइयां)।/All Vigilance Officials (Corporate Office /units).
- 6. सूचना पटल।/Notice Board.